बिहार सरकार
<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>

पत्रांक –वि०प्रा० (III) स्था० (सं०नि०)–24/19– 313 पटना/दिनांक – 29.1.2020

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प्र०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान,
सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान।
सचिव राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् पटना।

विषय:– विभागाधीनस्थ संस्थानों में पूर्व से सेवानिवृत अथवा भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सेवा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अनुशंसा के साथ जॉच प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश सं0–3/एम0–54/2015 सा0 प्र0–589 दिनांक–14.01.2020 एवं सा0प्र0वि0 का पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.2016 की अनुसूचि–01 एवं 02

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2) (क) के तहत भविष्य में सेवानिवृत होने वाले तथा कंडिका–3 (2) (ख) के तहत पूर्व से सेवानिवृत सरकारी सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश सं0–589 दिनांक–14.01.2020 के द्वारा अनुसूची में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सम्मिलित पदों पर संविदा नियोजन हेतु कर्मी से प्राप्त अभ्यावदेन के साथ संलग्न अनुसूची–01 एवं 02 में सूचना अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–यथोक्त् (05 पृष्ठ)।

विश्वासभाजन
29.1.2020
संयुक्त निदेशक (प्र0),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

अभिषेक / 31.01.2020

पत्रांक–22/सं0नि0–02/2017 सा0प्र0 9893/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक....02 .अगस्त, 2017

विषयः– **भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय जाँच –पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के तहत भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले तथा कंडिका–3 (2)(ख) के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रावधानित किये गये हैं। संकल्प की अन्य कंडिकाओं के तहत दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु सामान्य प्रावधान निरूपित हैं।

2. चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु संकल्प के प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.2016 की अनुसूची–1 में अंकों के निर्धारण तथा अनुसूची–2 के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने हेतु जाँच–पत्र परिचारित किये गये हैं। परन्तु, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के क्रम में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नियोजन के इच्छुक कर्मियों से संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराये जाने से चयन समितियों द्वारा अनुशंसा करने में कठिनाई अनुभव की जाती है।

3 अतः अनुरोध है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के प्रावधानों के आलोक में प्रस्ताव भेजते समय संबंधित सरकारी सेवकों के संबंध में संलग्न अनुसूची में विस्तृत सूचना संचिका के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

(5)

(23)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

!! आदेश !!

आदेश संख्या-- 3/एम0--54/2015सा0प्र0 589 /पटना--15, दिनांक-- 14-1-2020

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक--10000 दिनांक--10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका--3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक--10000 दिनांक--10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :--

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या--10000 दिनांक--10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद।
1	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	(i) सांख्यिकी गणक
2.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	(i) सहायक शिक्षक, (ii) व्याख्याता, (iii) कम्प्यूटर शिक्षक।
3.	श्रम संसाधन विभाग	निदेशालय चिकित्सा सेवाऐं (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) के-- (i) लिपिक
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग	(i) राजभाषा सहायक, (ii) राजभाषा अनुदेशक (मुख्यालय एवं प्रमण्डलीय), (iii) सहायक राजभाषा अनुदेशक, (iv) अनुदेशक (आशुलेखन), (v) सहायक अनुदेशक (टंकण), (vi) टंकक--सह--लिपिक, (vii) सम्पादक।
5.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के-- (i) निम्नवर्गीय लिपिक; (ii) आशुटंकक/आशुलिपिक; (iii) अनुदेशक; (iv) प्रयोगशाला सहायक।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक--10000 दिनांक-- 10.07.2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ह0/- 14/1/2020

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक--3/एम0--54/2015सा0प्र0 589 /पटना--15, दिनांक-- 14-1-2020

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई--गजट प्रशाखा) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/- 14/1/2020

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3 / एम0–54 / 2015सा0प्र0 589 / पटना–15, दिनांक– 14–1–2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना; सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव; सभी विभागाध्यक्ष; सभी प्रमंडलीय आयुक्त; सभी जिला पदाधिकारी; को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3 / एम0–54 / 2015सा0प्र0 589 / पटना–15, दिनांक– 14–1–2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / श्रम संसाधन विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय / सभी राजकीय पोलिटेकनिक / सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक एवं सचिव राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत संलग्न जॉच प्रपत्र (अनुसूची के साथ) प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

संयुक्त निदेशक (प्र0),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

③ ㉖

अनुसूची

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच–पत्र।

1	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।	
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
5	(i) विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होनेवाले है। (ii) विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि।	
7	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
8	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।	

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने वाले विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।

(7) (24)

अनुसूची – 2

पूर्व से सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र

1.	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2.	पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3.	प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।	
4.	प्रस्तावित पद संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची के किस कमांक पर शामिल है।	
5.	i.अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम, (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है)। ii. उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
6.	i. विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है। ii. विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
7.	विभाग में उसी पद पर पूर्व में संविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि।	
8.	i. अभ्यर्थी की जन्म तिथि ii. सेवा निवृत्ति की तिथि।	
9.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
10.	अभ्यर्थी को सेवा काल में दिये गये दंडों का विवरण।	

11.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।		
12.	अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन का विवरण ।	वर्ष	अभ्युक्ति
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित
करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर।